

अति तत्काल
आर टी आई मामला

सं. 14036/389/2013-यू टी पी

भारत सरकार
गृह मंत्रालय

* * *

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक: 30/5/2013

सेवा में

श्री दीपक शर्मा,
121, 122, पहली मंजिल,
ब्लॉक डी-2, सेक्टर-11,
रोहिणी, दिल्ली-110085

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपका दिनांक रहित आवेदन।

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपका ऊपर उल्लिखित आर टी आई आवेदन (इस अनुभाग में 17.5.2013 को प्राप्त) का उल्लेख करने का निदेश हुआ है।

2. इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि आपने अपने आर टी आई आवेदन में कोई सूचना नहीं मांगी है। अतः सूचना शून्य है।
3. इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम श्री के.के. पाठक, संयुक्त सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

भवदीया,

12.25.13
(एस. सुधा)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं
अवर सचिव (डी पी-11)
दूरभाष : 23092856

28/5/13
16/5/13
18/6

शे. 10

श्री श्री ~~कमलेश~~ लोक सुरक्षा अधिकारी / लोक प्राधिकारी
अवर सचिव (दिल्ली पुलिस - 2)
गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

विषय: सुरक्षा का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्री दीपक शर्मा
की थूली प्रभाग व श्री अवर सचिव (दिल्ली पुलिस - 2) गृह मंत्रालय,
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली जारी सुविधाओं की सुरक्षा व कार्यवाई
का सम्पूर्ण बौद्धिक सुरक्षा ~~की~~ हासिल करवाने हेतु R.T.I की
महोदयजी यथापरी धार के अंतर्गत सुरक्षा व कार्यवाई हेतु
उपरोक्त उल्लिखित विषय पर पाठ्यता हेतु

दिल्ली पुलिस के कुछ भाष्य कर्मियों के राष्ट्रस राज के
अधीन क्रियाकलापों पर श्री सजय मिश्रा, अवर सचिव, भारत
सरकार के अग्रगण्य सूचि आदेशों के अमल के अंतर्गत राष्ट्रवादी
वाद का आगार व्यक्त व उक्त प्रभागों द्वारा ही
उमीद करता हूँ कि बिना किसी तर्क व कारण जैसे
नास्तीबादी मुद्दों के अंतर्गत प्रधान मंत्री जी व अवर सचिव, ~~पुलिस~~
भारत सरकार के आदेशों के अमल करने और सजय वक्त
बिना क्वीना पुन्य कामाने का कार्य करेंगी।

प्राधिका है कि सुरक्षा व कार्यवाई निशापक्षता
सोमपता के लिए कति कृपा होगी

संतोषजनक: यथापरी

3085/RTI/2013
15/5/13

आपका हितैषी

दीपक शर्मा

9013517801

121, 122, पदवी मन्डित अलम-डी-2,
सेक्टर - 11 रोहिणी, दिल्ली-85.

✓ VS (P.S.)

Sh 25

17/5 1588/UP-13
17/5